

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 107
उत्तर देने की तारीख: 25.11.2019

केन्द्रीय विद्यालय

***107. डॉ. रामशंकर कठेरिया:**
श्री हरीश द्विवेदी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में प्रवेश के लिये सांसदों हेतु कोई विशेष कोटा और मंत्रालय हेतु कोई विशेष रियायत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देश क्या है?
- (ख) क्या सरकार का केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से संसद सदस्यों को उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अवस्थित केंद्रीय विद्यालयों की संख्या के दृष्टिगत प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय हेतु कूपन उपलब्ध कराने का विचार है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश में विशेष रियायत के अंतर्गत सांसदों को दिये जाने वाले कूपनों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) जिन सांसदों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, उनके लिये सरकार द्वारा क्या प्रावधान किये गए हैं/किये जाने का विचार है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ङ.) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“केन्द्रीय विद्यालय” के संबंध में माननीय संसद सदस्य, डॉ. रामशंकर कठेरिया और श्री हरीश द्विवेदी द्वारा दिनांक 25 नवंबर, 2019 को लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 107 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

(क) जी, हां। माननीय संसद सदस्यों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट दाखिला योजना के अंतर्गत लोक सभा के प्रत्येक माननीय संसद सदस्य इस योजना के अंतर्गत एक शैक्षणिक वर्ष में दाखिलों के 10 (दस) मामलों की संस्तुति कर सकता है किंतु ये संस्तुतियां केवल उन बच्चों तक ही सीमित होंगी जिनके अभिभावक उनके निर्वाचन क्षेत्र के मूल निवासी हों अथवा हाल ही की तैनाती अथवा सेवा की आकस्मिकताओं के कारण, उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हों। ये सिफारिशें केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए ही की जाएंगी। राज्य सभा के माननीय संसद सदस्यों के लिए, वह राज्य जिससे सदस्य को निर्वाचित किया गया है, इस प्रयोजनार्थ उनका निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। राज्य सभा और लोक सभा के नामांकित सदस्य देश में स्थित किसी भी एक अथवा एक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए 10 (दस) मामलों की संस्तुति कर सकते हैं।

(ख) से (घ) संसद के सदस्यों को उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित केवी की संख्या के मद्देनजर प्रत्येक केवी के लिए कूपन प्रदान करने अथवा केवी में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों को विशेष रियायत के तहत दिए गए कूपन की संख्या बढ़ाने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड.) यदि माननीय सांसद (लोकसभा) के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केवी नहीं है अथवा यदि माननीय सांसद (लोकसभा) के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केवी के पास अपेक्षित कक्षा/विषय नहीं है, जिसमें प्रवेश के लिए संस्तुति की गई है, तो वह इस मामले की संस्तुति किसी पड़ोस के सन्निहित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केवी (केन्द्रीय विद्यालयों) में कर सकते/सकती हैं।
